

ADVOCATES (SECOND AMENDMENT)
BILL

(I) Report of Select Committee

SHRI R. D. BHANDARE : I beg to present the Report of the Select Committee on the Bill further to amend the Advocates Act 1961.

(ii) Evidence

SHRI R. D. BHANDARE : I beg to lay on the Table a copy of the Evidence given before the Select Committee on the Bill further to amend the Advocates Act, 1961.

श्री मोलहू प्रसाद (बांसगांव) : अध्यक्ष महोदय, मुझ को आप से एक निवेदन करना था। कल जो कागज पत्र सभा पटल पर रखे गये थे उन में से आइटम नं० 4 और 5 की प्रतियां हम को नहीं मिली हैं। वह हम को दिला दी जायें क्योंकि वह नीति सम्बन्धी चीजें हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस को मैं देखूंगा।

12.43 hrs.

COMMISSIONS OF INQUIRY
(AMENDMENT) BILL

SHRI N. K. P. SALVE (Betul) : I beg to move the following :

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do appoint a member of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Bill to amend the Commissions of Inquiry Act, 1952, in the vacancy caused by the resignation of Shri Sheel Bhandra Yajee and do communicate to this House the name of the member so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

MR. SPEAKER : The question is :

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya do appoint a member of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Bill to amend the Commissions of Inquiry Act, 1952, in

the vacancy caused by the resignation of Shri Sheel Bhandra Yajee and do communicate to this House the name of the member so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

The Motion was adopted

12.44 hrs.

MOTIONS RE : REPORTS OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ; AND COMMITTEE ON UNTOUCHABILITY Contd.

MR. SPEAKER : Further consideration of the following motion moved by Shri Govinda Menon on 20 May 1970, namely :

"That this House takes note of the Sixteenth, Seventeenth and Eighteenth Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years, 1966-67, 1967-68 and 1968-69, laid on the Table of the House on 24th April, 1968, 15th May, 1969 and 30th March, 1970, respectively."

and further consideration of the following motion moved by Shri Suraj Bhan on 20th May 1970, namely :

"That the Report of the Committee on Untouchability, Economic and Educational Development of the Scheduled Castes (Part I—V) along with the connected documents, laid on the Table of the House on the 10th April, 1969, be taken into consideration."

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : अध्यक्ष महोदय, इस के बारे में मुझ को कुछ कहना है। कल आप की अनुपस्थिति में हम लोगों की तरफ से मांग की गई थी कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों सम्बन्धी प्रतिवेदन पर चर्चा का समय बढ़ाया जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप देर में आये, इस के बारे में बतलाया जा चुका है। इस के बाद मैं समझता हूँ कि हम को किसी न किसी शनिवार को बैठना पड़ेगा ताकि जो टाइम ज्यादा लिया गया है हम उस को पूरा कर दें।

श्री नाथूराम ग्रहिरवार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हरिजन और आदिवासियों के कल्याण से सम्बन्धित समिति की जो रिपोर्ट है उस के उपर दो दिन से चर्चा हो रही है। जब हम रिपोर्ट को देखते हैं तो पाते हैं कि समिति ने उस में बहुत सी सिफारिशों की हैं। हम लोगों को जो कुछ कहना चाहिये था वह उन्होंने कहा है। वास्तव में इस सम्बन्ध सब से ज्यादा भार राज्य सरकारों पर जाता है और राज्य सरकारें उस के उपलक्ष्य में क्या करती हैं यह रिपोर्ट से प्रतिबिम्बित होता है, जैसे एक जगह पर रिपोर्ट में कहा गया है कि हरिजनों और आदिवासियों के मकानों के लिये करीब 282.45 लाख रु० रखा गया था, लेकिन खर्च किया गया केवल 112 लाख रुपया। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अधिकांश राज्य सरकारों ने गांव के इलाकों में अनुसूचित जातियों के मकानों की समस्या पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। उन को इन सिफारिशों को कार्यान्वित करना चाहिये। आज जो पैसा राज्य सरकारों को दिया जाता है मकान बनाने के लिये, उस को वह दूसरे-दूसरे कामों में खर्च कर देती है या लैप्स करा देती है ताकि वह पैसा इस काम के लिये खर्च न हो। ऐसी सूरन में यदि मैं यह कहूँ कि राज्य सरकारें बराबर हरिजनों और आदिवासियों के मामले में लापरवाही बरतती हैं, कोई ध्यान नहीं देती हैं तो यह गलत नहीं होगा।

शिक्षा के मामले में आप देखेंगे कि जहां पर आदिवासियों और हरिजनों के बच्चे पढ़ने जाते हैं वेहातों में उन को पढ़ने का प्रबन्ध नहीं मिल पाता है। जिन इलाकों में हरिजन और आदिवासी आध्यापक जाते हैं उन को वहां रहने के लिये मकान नहीं मिलता है, और अगर वहां पर सबर्ण अध्यापक पढ़ाने के लिये जाते हैं तो उन से कहा जाता है कि यदि तुम हरिजन और आदिवासी लड़कों को पढ़ा लिखा दोगे तो हमारे मवेशी कौन चरायेगा, मवेशियों के

बछड़े कौन चरायेगा? यदि हरिजन और आदिवासी लोग पढ़ लिख जायेंगे तो फिर गांवों में बड़े-बड़े किसानों के हल कौन हांकेगा? नतीजा यह होता है कि गरीबों और हरिजनों के बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं। अगर किसी सबर्ण का या पंडित जी का लड़का पढ़ने जाना है तो वह पांच साल में पांचबे दर्जे में पहुंच जाता है, मिडल स्कूल में पहुंच जाता है और हमारा लड़का पांच साल तक एक ही दर्जे में चलता रहता है। इस लिये सब से बड़ी परेशानी देहात के इलाकों में यह पाई जाती है कि वहां पर हरिजन और आदिवासियों के लड़कों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है कई जगहों पर।

आज हम देखते हैं कि हरिजनों की समस्या ग्राम में छुप्रा छूत की इतनी नहीं है जितनी बड़ी समस्या उन की आर्थिक स्थिति सुधारने की है। ज्यादातर हरिजन लोग देहातों में रहते हैं और जितने काश्तकार हिन्दुस्तान के हैं उन में से 33 फीसदी काश्तकार आदिवासी और हरिजन हैं। उन में से भी 5 एकड़ से 10 एकड़ तक जमीन रखने वाली की संख्या बहुत कम पाई जाती है। हम ने देखा कि हमारे यहां जमींदारी खत्म हुई, जागीरदारी खत्म हुई और कई प्रान्तों में भूमि की सीमा निर्धारित की गई। बतलाया गया कि हमारे मध्य प्रदेश में सीलिंग लगाने से करीब 85 हजार एकड़ जमीन निकली, लेकिन उस में से बांटी कितनी गई? कुल 13 हजार एकड़। हमारी विधान सभा में सीलिंग कानून सन् 1960 में पास किया गया, लेकिन सरकार ने क्या किया कि जब भूमि का दान-पत्र प्रायेगा उस को वह 2 अक्टूबर, 1962 से लागू करेगी। मतलब यह कि दो साल में जिन के पास ऐसी जमीनें हैं वह सब अपने भाई भतीजों, नाती पोतों के नाम उन की रजिस्ट्री करा दें। जमीनों की बांट आज तक हरिजनों और आदिवासियों में नहीं हुई है। इतना ही नहीं कि लोगों से जमीन

निकालने में देरी की गई, बल्कि जो सरकारी जमीन परती पड़ी थी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वह हरिजनों और आदिवासियों में बंटी तो उस पर पंडित जी और सबर्ण लोगों का कब्जा था। लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी जमीन पर जाने की और अपने नाम पट्टा लिखाने की। जब उन लोगों ने अधिकारियों से जा कर कहा रजिस्ट्री कैसे करवायें तो वह कहने लगे कि तुम जा कर कागजी कार्रवाई करो। मैं कहता हूँ कि जिस के पास अगले दिन के लिये खाने को नहीं है वह कैसे अदालत में जाये और वहाँ जाकर क्या करे? ऐसी सूरत में हमारे यहाँ दो साल पहले करीब 20-25 आदिवासियों ने 50 एकड़ जमीन के पट्टे कराये, लेकिन जो सबर्ण लोग थे उन्होंने उन से कहा कि इस पर हमारा कब्जा है। वह आदिवासी और हरिजन लोग अदालत भी गये, लेकिन वहाँ के एस०डी० प्रो० ने पैसा खा कर उन के पट्टे खारिज कर दिये। इसी लिये मैं कहता हूँ कि जिन के पास बल के लिये खाने को नहीं है वह किस तरह से अदालत करने जायें, वहाँ दरबारों दें? सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर उन के साथ कोई ज्यादाती हो तो उन को कोई सरकारी वकील मिल जाये जिस से वह अपना मामला सरकार के सामने पेश कर सकें। हम को इस के लिये व्यवस्था करनी चाहिये।

घाप देखते हैं कि दूसरा कारण यह है जिस वजह से गरीबों और हरिजनों को जमीन नहीं मिल पाती है, कि देहातों में जो पटवारी होते हैं वह मालगुजारी और दूसरे बड़े-बड़े आदिमियों से मिले होते हैं। वह बराबर इस बात की कोशिश करते हैं कि जिन को जमीन मिलनी है उनको ठीक तरह से उसे बतलाया भी न जाये, और अगर किसी तरीके से उनको जमीन मिल भी जाये तो ऐसी जगह का पट्टा वे देंगे जहाँ पर घास भी नहीं जम सकती, जो पहाड़ी जमीन है। जब उन से कहा जाता है कि यह तो पहाड़ी जमीन है, इसको हम क्या

करेंगे, तो वह कहते हैं कि हमने तो पट्टा बे दिया, हम क्या करें। भाज लाखों एकड़ जमीन काश्तकारों को दी गई है जो परती पड़ी बतलाई जाती है, लेकिन जब काश्तकार उनको लेने के लिए जाते हैं तो पाते हैं कि उन पर दूसरे लोगों का कब्जा है, और इस तरह से हरिजनों और आदिवासियों को जमीन नहीं मिल पाती है।

ऐसी सूरत में राज्य सरकारों को आदेश होने चाहिये इस प्रकार के कि जमीनें इन लोगों को दें। घापको यह भी देखना चाहिए कि उन आदेशों का पालन होता है या नहीं होता है।

घापने देखा है कि जमीन हड़पों आन्दोलन चल रहा है। यह आन्दोलन हरिजनों आदि को अपने कब्जे में करने के लिए चलाया जा रहा है मैं कहता हूँ कि अगर हरिजनों को आन्दोलन करने से ही जमीन मिलनी होती तो दूसरे लोगों की जमीन लेने के लिए वे आन्दोलन क्यों करते, सरकारी जमीन जो कि बेक र पड़ी हुई है, जिस में कोई काश्त नहीं हो रही है, उस पर ही कब्जा क्यों नहीं कर लेते? वहाँ तो कोई बंसी रोकटोक नहीं जैसी निजी जमीनों पर है। उसी पर कब्जा ये क्यों नहीं कर लेते। जिन जमीनों के मालिक मीहूद हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा कैसे कर सकते हैं? अगर मान लो कब्जा कर भी लिया तो वह भिलेगी उन को, जाएगी उनके पास जिन के पास ताकत होगी, जिन के पास साधन होंगे, जिन के पास ट्रैक्टर और बैल होंगे। अगर कब्जा कर भी लिया लेकिन बैल आदि न हुए तो कब्जा करके क्या होगा? कैसे वे काश्त पर पाएंगे। इस बास्ते घाप को चाहिये कि घाप उनको जमीन भी दें और उनके लिए साधन भी मुहैया करें।

खेतीहर मजदूरों की भी एक समस्या है। उनके साथ बहुत भ्रष्टाचार होते हैं। हर प्रान्त में होते हैं। कानूनी तौर पर आपने बेगार लेना

[श्री नाथूराम अहिरवार]

बन्द कर दिया है। लेकिन आज भी हर प्रान्त किसी न किसी रूप में बेगार ली जाती है। बिहार में गोटी के नाम से, मध्य प्रदेश में हलवाई, महींदारी के नाम से ली जाती है। एक दफा किसी के बाप ने पचास रुपये किसी साहूकार से ले लिए तो तीन चार पीढ़ी तक बराबर उसके बच्चे उसकी नौकरी करते रहेंगे लेकिन कर्ज से निवृत्त नहीं हो सकेंगे। पैसा कर्ज का बढ़ता ही जायेगा, कम नहीं होगा। कई पीढ़ियों तक कर्ज की अदायगी धरनी पड़ती है। बराबर साहूकारों के वे नौकर बने रहते हैं। जबदंस्ती और इच्छा न होने पर भी उनसे काम करवाते हैं। ये जो चीजें हैं इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है।

दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे लड़के उच्च शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा या हायर सैकेंडरी की शिक्षा पा कर भी बेकार फिरते रहते हैं। उनको कोई विशेष सुविधायें नहीं मिल पाती हैं। अगर वे पढ़ना चाहते हैं भागे तो उनके वास्ते रहने के लिए होस्टल नहीं होता है। मकान का किराया वे दे नहीं पाते हैं और साथ ही साथ वजीफा भी सरकार उतना नहीं देती है जिनमें उनका पूरा खर्च निकल सके। यह कहा जाता है कि कालेजों इत्यादि में इन जातियों के लोगों के लिए स्थान सुरक्षित है। लेकिन आप देखें कि बनारस, कानपुर, लखनऊ, जीवाजी राव कालेज ग्वालियर आदि में इन लोगों के लिये कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। यह समिति की रिपोर्ट में भी साफ बताया गया है। वहां ये पहुंच नहीं पाते हैं। समिति की रिपोर्ट में यह है कि इंडस्ट्रियल इन्स्टीट्यूट्स, आई आई टी इत्यादि में कोई भी जगह इनको नहीं मिली है आज तक। दिल्ली, कानपुर, मद्रास कहीं भी नहीं मिली है। सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देती है, कोई परवाह नहीं की जाती है। किस तरह से ये इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग या दूसरी ट्रेनिंग

प्राप्त कर सकेंगे? आंकड़े तो बता दिये जाते हैं कि लाखों की संख्या में इन जातियों के लड़के पढ़ रहे हैं। लेकिन यह जो उच्च शिक्षा है, इसके द्वार उनके लिए बन्द हैं। इस ओर भी आधा ध्यान जाना चाहिये।

अगर कोई वच्चा भागे निकल भी जाता है और वह नौकरी के लिए आवेदन देता है तो उसको इण्टरव्यू के वक्त यह बता दिया जाता है कि यह सूटेबल नहीं है। जो चुनाव करने वाली कमेटी होती है उसमें हरिजनों या आदिवासियों का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। मेरी मांग है जिला स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर भी जिन जिन विभागों में भी चुनाव समितियां बनी हुई है चाहे वे बलास 1 की नौकरियों के लिए हों या बलास दो या बलास तीन या बलास चार की नौकरियों के लिए हों, उनमें हरिजनों और आदिवासियों का एक प्रतिनिधि जरूर होना चाहिए। साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ कि जो कम्पीटीशन हो वह केवल हरिजनों और आदिवासियों में ही होना चाहिये न कि दूसरों के साथ इनको भी बिठाया जाए।

मैं आपके नोटिस में एक और बात लाना चाहता हूँ। हरिजनों का जो पूरा कोटा है वह इनको नहीं मिलता है। सोलह परसेंट वेकेंसीज रिजर्व होती हैं जिसका मतलब यह है कि छः में से एक लड़का लिया जाएगा। लेकिन वे करते क्या हैं? चार वेकेंसीज या पांच वेकेंसीज निकाल देते हैं एक बार में ताकि हरिजनों का एक भी लड़का न लिया जा सके। न पूरी छः वेकेंसीज होंगी और न उनका एक लड़का लिया जायेगा। चार पांच एक बार में निकाली जाती हैं ताकि हरिजनों और आदिवासियों को मौका न मिल सके। मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि तीन साल या पांच साल के पीरियड में कितनी वेकेंसीज किस ग्रेड में निकली और कितने

आदमियों को रखा गया और उनमें कितने हरिजन और आदिवासी रखे गये। तीन या पांच साल के पीरियड में जितनी जगहें निकलें, उनका हिसाब लगा कर जो इनका कोटा है, वह इनको दिलाया जाना चाहिये। बार-बार इन चीजों को कहा जाता है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। रिपोर्ट भी तीन चार साल की एक ही बार आ जाती है और उनके लिए चार पांच घंटे दे दिये जाते हैं। जिसको जो कहना होता है कह लेता है लेकिन किया कुछ नहीं जाता है यह कह दिया जाता है कि बहुत अच्छा भाषण दे दिया है हरिजनों के बारे में। लेकिन सरकार के द्वारा कुछ किया नहीं जाता है।

अध्यक्ष महोदय, हरिजनों की समस्या को हल्के ढंग से सरकार ले रही है। यह ठीक नहीं है। यह पन्द्रह करोड़ हरिजनों और आदिवासियों का सवाल है। आज भी हम देखते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान के कुछ एक लाख, दो एक लाख शरणार्थियों का सवाल आता है तो इस हाउस में हल्ला मच जाता है। लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं कि करोड़ों हरिजनों और आदिवासियों के पास रहने के लिये मकान नहीं हैं, पहनने के लिये कपड़ा नहीं है, खाने के लिए धान नहीं है, जोतने के लिये जमीन नहीं है? कोई नहीं सोचता है। केवल भाषण कर दिये जाते हैं। उन को जमीन देने की चिन्ता नहीं की जाती है। जमीन की बात जब की जाती है तो कहा जाता है कि तुम्हें मंदिर प्रवेश का अधिकार दे दिया गया है। मंदिर के पास साखों एकड़ जमीन होती है वह दिलाई नहीं जाती है, महन्त जी उसको तो बेते नहीं हैं, लेकिन कह देते हैं कि मंदिर में भूति रखी है इसके दर्शन कर लो। जमीन अपने पास रखी जाती है। हमें मंदिर प्रवेश बिल्कुल नहीं चाहिये, हमें जमीन चाहिये। यह कहा जाता है कि होटल प्रवेश आप कर सकते हैं। डा० राम सुभग सिंह जी ने कहा कि हट्टी के

कारखाने, चमड़े के कारखाने इन के लिए सगा दिये जायें। मैं कहूँगा कि तुम लो ये कारखाने। हम होटल खोलेंगे और कपड़े की दूकानें खोलेंगे, वही हमारे लिये खुलनी चाहियें। जब तक सब आपस में एक दूसरे के घंघों को नहीं अपनायेंगे, तब तक अस्युश्यता मिट नहीं सकेगी। हमारा लड़का जब कभी अफसर बन जाता है, या कर्लक्टर बन जाता है और दफतर में काम करने जाता है तो जो पंडित चपड़ासी होता है वह उसका काम करने से भिन्नकता है। अगर ट्रे चपड़ासी को उठाने के लिए कहा जाता है तो वह उसको उठाता हुआ भिन्नकता है। अगर झूठा गिलास पानी का ले जाने के लिये कहा जाता है तो वह नाक भों सिकोड़ता है। यह जो भावना इन लोगों के खिलफ घर कर गई है, इसको निकालना बहुत जरूरी है। हृदय परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तभी इनका उत्थान हो सकता है। तब तक इन लोगों को आप अपने साथ भाग नहीं बढ़ाएंगे तब तक इनकी उन्नति नहीं हो सकती है।

उद्योग घंघे भी इनके लिए चालू होने चाहिये। जितने पब्लिक सैक्टर के कारखाने हैं उनमें कहा इनके लिए रिजर्वेशन है? प्रोमोशन के मामले में इनके वास्ते रिजर्वेशन कहाँ है? जब रिजर्वेशन की बात प्रोमोशन के वक्त कही जाती है तो कहा जाता है कि नौकरी में लेने के लिए रिजर्वेशन है, प्रोमोशन के समय पर नहीं है। समिति की रिपोर्ट में भी सिफारिश की गई है और मैं भी मांग करता हूँ कि प्रोमोशन के वक्त भी इनकी पापुलेशन के मुताबिक इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिये। जब तक हमारे लिए उद्योग घंघों की व्यवस्था नहीं होती है। जब तक हमारी माली हालत नहीं सुधरती है तब तक छुप्राखूत या अस्युश्यता मिटाने की बात कहने से कोई लाभ नहीं होगा। तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती है।

मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारे लिए जमीन की व्यवस्था होनी चाहिये और

[श्री नाथूराम ग्रहिवरवार]

इसके बारे में सरकार को गम्भीरता पूर्वक सोचना चाहिये। जहाँ पर भी जमीन पड़ी हुई है फाल्ट उसको निकाल कर हरिजनों को दे दिया जाना चाहिये।

पहली से पाँचवीं तक जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनको बजीफा नहीं मिलता है। उनके लिये आपकी कपड़ों का, किताबों का प्रबन्ध करना चाहिये। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो गरीब मजदूरों के बच्चे पाँचवी तक तो पढ़ हो सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री हिम्मतसिंहका।

श्री हिम्मतसिंहका (गोंडडा) : अध्यक्ष महोदय, अनुमोचित जातियों और अनुमोचित आदिम जातियों के कमिश्नर की रिपोर्ट पर हम लोग विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस में सरकार की तरफ से—

श्री राम चरण (खुर्जा) : मुझे बुलाया जाना था।

अध्यक्ष महोदय : बुलाना तो आपको ही था लेकिन गलती से इनको बुला लिया है। ये दो तीन मिनट बोलेंगे।

श्री हिम्मतसिंहका : दो तीन मिनट में कैसे खरम कर सकूंगा ? यह नहीं हो सकेगा। लंच के वाट मैं बोल लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं कोशिश करूंगा कि इसके लिए टाइम एक्सटेंड हो जाए। आपको लंच के बाद बुला लूंगा और आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा। अब हम लंच के बाद दो बजे मिलेंगे।

13 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the Clock.

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch Behar) : Sir, I would like to make a submission. I have received a telegram about the curtailment of the supply of rations. This is a serious problem affecting my area. I have earlier received four telegrams and I have spoken to the Minister. But he has not taken any steps. The telegram reads :

"Ration quota of rice curtailed market prices rising quickly people in great distress demanding immediate restoration of old quota please move government."

This is the situation obtaining in Cooch-Bihar. I want that the Minister of Food and Agriculture should make a statement regarding this curtailment of the ration quota in Cooch-Bihar.

I have another very serious matter.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappally) : There are heavy floods in Kerala. Very many rivers are in spate. The Pazhasi project has been washed away. The situation is very bad in Kerala. We want something to be done. Some help should be rendered. The Government should come forward with a statement. It is very difficult to conduct an election in the background of these floods.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : Let the floods be diverted to us.

SHRI E. K. NAYANAR (Balghat) : Now Kerala is under President's rule. During the last three months 20,000 contingency workers were doing satyagraha and strike but the Government has not attended to their grievance. Now they are affected by floods also. The Government must look into the matter.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Shri Nambiar, myself and others have been making submissions in this House regarding the discharge of more than 300 workers belonging to railway electrification in the

Allahabad Division and many have been arrested. I am told that yesterday also when they were demonstrating before the Divisional Officer and other officials in Allahabad, they have been arrested. I will request the hon. Minister of Railways, through you, that he should make a statement.

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh): Though the hon. Minister for Petroleum and Chemicals yesterday gave a statement about the rise in the price of drugs, the actual position is that prices of drugs commonly used by the common man have been raised. This must be discussed and some opportunity must be given to discuss the statement that he gave yesterday.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have said yesterday that if any Member gives a notice under rule 184, the Minister has said that he would be glad to have a discussion.

SHRI SHRI CHAND GOYAL: I have given a notice under rule 193.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY: I have another very serious matter to raise.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You cannot raise two things at one and the same time.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY: It is very important. The matter relates to the assurance given by the External Affairs Minister yesterday here. There is a specific denial by the Government of Pakistan. The whole prestige of the country is at stake. What our Minister says here is definitely denied by the Government of Pakistan.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Kindly resume your seat. I cannot violate the rules for you. I have the same yardstick for every Member.

14.08 hrs.

MOTIONS RE: REPORTS OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES; AND COMMITTEE ON UNTOUCHABILITY—

Contd.

श्री हिम्मतसिंहका : उपाध्यक्ष महोदय,

अनुसूचित जातियों की समस्याओं के बारे में किस ढंग से विचार हो रहा है, यह आप इस से समझ सकते हैं कि सरकार तीन बरस तक शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट्स पर विचार करने के लिए समय नहीं निकाल सकी और इस समय एक-साथ तीन रिपोर्ट्स पर विचार किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो मदद अनुसूचित जातियों या आदिवासियों को दी जाती है, वह उन को समय पर नहीं मिलती है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ समय पर न मिलने के कारण उन्हें काफी तकलीफ होती है। जो विद्यार्थी छात्रावासों में रहते हैं, उन्हें भी समय पर छात्रवृत्तियाँ नहीं दी जाती हैं। इस लिए ऐसा इन्तजाम किया जाना चाहिए कि जो छात्रवृत्तियाँ या मदद दी जाती है, वह सीधे कालेजों और छात्रावासों के अधिकारियों के पास भेज दी जाये, ताकि इस बारे में कोई गड़बड़ न हो। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि जो छात्रवृत्तियाँ किन्हीं अध्यापकों के पास भेजी जाती हैं, वे पूरे परिमाण में विद्यार्थियों के पास नहीं पहुँचती हैं और बीच में ही कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जानी चाहिए कि जो मदद अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के लिए निर्धारित की जाये, वह समय पर और पूरे परिमाण में उन के पास पहुँच जाये।

बहुत से आदिवासियों को जमीन मिली है, लेकिन उस को जोतने के लिए उन के पास साधन नहीं हैं। इस लिए यह भी इन्तजाम होना चाहिए कि जिन बस्तियों में गरीब जातियों या आदिवासी या अनुसूचित जातियों के आदिवासे बहुत ज्यादा तादाद में हैं, वहाँ उन्हें हल बैल वगैरह उपलब्ध किये जायें। ताकि उन की जमीन समय पर जोती जा सके और उन्हें मदद मिल सके। इसी तरह से पानी का इन्तजाम भी गांवों में ऐसी जगहों पर नहीं है जहाँ पर गरीब आदिवासी ज्यादाकर के हैं या शिड्यूल्ड